



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण


EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 512]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 8, 2001/आश्विन 16, 1923

No. 512]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 8, 2001/ASVINA 16, 1923

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अक्टूबर, 2001

सा. का.नि. 762(अ).—रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 28, 29 और 198 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा रेलवे को चालू करने संबंधी (यात्रियों के सार्वजनिक वहन के लिए) नियम, 2000 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

1. (1) ये नियम रेलवे को चालू करने संबंधी (यात्रियों के सार्वजनिक वहन के लिए) संशोधन नियम 2001 कहलाएंगे.

(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. रेलवे को चालू करने संबंधी (यात्रियों के सार्वजनिक वहन के लिए) नियम 2000 में अध्याय II नियम (1), अध्याय VI नियम 21(1), 21(2), 21(3), नियम 21(1) और अध्याय VII नियम 25(2), 25(5) नीचे लिखे अनुसार पठनीय होंगे और अध्याय-1 नियम 1(2) अध्याय VI नियम 22(2) को हटा दिया गया है.

अध्याय II- रेलवे को चालू करने के लिए तैयारी

1. आयुक्त को सूचित करना:-

(1) प्रत्येक रेलवे प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि जिस रेलवे लाइन या रेलवे के भाग को यात्रियों के सार्वजनिक वहन के लिए चालू किया जाना है, उसे हर प्रकार से भारतीय रेल

मानक पद्धति राहिताओं और नियमावलियों या इस रेलवे के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट रूप से अनुमोदित पद्धति राहिताओं और नियमावलियों के अनुसार पूरा किया गया हो तथा रेलवे लाइन या रेलवे के ऐसे किसी भाग को चालू करने के लिए रागी प्रशारानिक औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं और रेलवे के संचालन को भारतीय रेल (चालू लाइनें) साधारण नियम, 1976 या केंद्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित और भारत के राजपत्र में प्रकाशित किसी अन्य सामान्य नियम द्वारा विनियमित किया गया है।

अध्याय VI- नियम 21-रेलवे को चालू करने की मंजूरी:

- (1) आयुक्त की निरीक्षण रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात केंद्रीय सरकार ऐसी शर्तों, परिवर्तनों अथवा रियायतों जो आवश्यक समझी जाएं, के अध्यक्षीन नियम 22(1) के अंतर्गत प्रदान की गई रवीकृति की पुष्टि, अशोधित अथवा रद्द कर सकती है।
- (2) किसी रेलवे को चालू करने की पुष्टि करते समय केंद्रीय सरकार सुझावों व शर्तों पर यथोचित रूप से विचार करेगी जिनके अध्यक्षीन आयुक्त ने रेलवे को चालू किया है।
- (3) जहां आयुक्त ने किसी रेलवे को चालू करने की सिफारिश नहीं की है या पहले से दी गई मंजूरी को रद्द करने का सुझाव दिया है, केंद्रीय सरकार आयुक्त की सिफारिश की पुष्टि अथवा आशोधन करेगी, जैसा आवश्यक हो, और आयुक्त द्वारा सूचित किए गए दोषों या कमियों को दूर करने के लिए संबंधित रेलवे प्रशासन को निर्देश देगी।

22. आयुक्त द्वारा रेलवे को चालू करना:

- (1) आयुक्त निरीक्षण के पश्चात धारा 28 के अंतर्गत आयुक्त द्वारा लागू की गई शर्तों के अध्यक्षीन संबंधित परिमंडलों के भीतर यात्रियों के सार्वजनिक वहन के लिए नई रेलवे लाइन को चालू करने की मंजूरी दे सकता है।

अध्याय VII-पुलों, छोटे निर्माण कार्यों आदि को चालू करना

25. छोटे निर्माण कार्यों को प्रारंभ करने के संबंध में आयुक्त की शक्तियां:

- (2) निरीक्षण के बिना चालू किए गए निर्माण कार्यों का साधारणतः यथासंभव शीघ्र निरीक्षण किया जाएगा लेकिन मामूली स्वरूप के निर्माण कार्यों के मामलों में रेल संरक्षा आयुक्त बाद में निरीक्षण करने की आवश्यकता के लिए अपने विवेक का उपयोग करेगा।

(3) जब अस्थायी मार्ग-परिवर्तन का उपयोग 3 दिन से अधिक बढ़ाए जाने की संभावना हो, आयुक्त, यदि वह आवश्यक समझता है, इसका निरीक्षण करने के लिए सबसे पहले उपलब्ध अवसर का लाभ उठाएगा।

[सं. 70/डब्ल्यूडीओ/ओआरआई/आरओ/1]

आई. आई. एम. एस. राणा, सदस्य इंजीनियरी एवं पदेन सचिव

नोट: मूल नियम 21 जुलाई, 2000 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 625(अ) के अंतर्गत प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th October, 2001

G.S.R. 762(E)—In exercise of the powers conferred by sections 28, 29 and 198 of the Indian Railways Act, 1989 (24 of 1989), the Central Government hereby makes the following amendments to the Railways (Opening for Public Carriage of Passengers) Rules, 2000, namely :-

1. (1) These rules may be called the (Railways Opening for Public Carriage of Passengers) Amendment Rules, 2001 .
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Railways (Opening for Public Carriage of Passengers) Rules, 2000, in Chapter II Rule (1), Chapter VI Rule 21(1), 21(2), 21(3), Rule 22(1) and Chapter VII Rule 25(2), 25(5) shall be read as follows and Chapter I Rule 1(2), Chapter VI Rule 22(2) shall stand deleted.

Chapter II – Preparation for opening of railways –

1. Reference to the Commissioner –

(1) Every Railway Administration shall ensure that the railway line or a portion thereof to be opened for public carriage of passengers is complete in all respects as per the Indian Railway Standard Codes and Manuals of practice or as per the Codes and Manuals of Practice as specifically approved by Central Government for that Railway and for such opening all the administrative formalities are complete and that the working of the railway is regulated by the Indian Railways (Open Lines) General Rules, 1976 or any other General Rule as approved by the Central Government and notified in the Gazette of India.

Chapter VI - Rule 21 – sanctioning of opening of railway :

(1). The Central Government may, after considering the Inspection Report of the Commissioner, confirm, modify or cancel the sanction given under rule 22(1) subject to such conditions, alterations or relaxations as may be considered necessary.

(2) While confirming the opening of any railway, the Central Government shall give due consideration to the suggestions or conditions subject to which the Commissioner has opened the railway.

(3) Where the Commissioner has not recommended the opening of any railway or has proposed to cancel the sanction already given, the Central Government shall confirm or modify the recommendation of Commissioner as necessary and shall direct the Railway Administration concerned to remove the defects or shortcomings reported by the Commissioner.

22. Opening of railway by Commissioner :

(1) The Commissioner, after inspection, may under Section 28 sanction the opening for public carriage of passengers of new lines of Railway within the respective circles subject to the conditions as the Commissioner may impose.

Chapter VII – Opening of Bridges, minor works, etc.

25. Power of Commissioner to open minor works –

(2) Works so opened without inspection, should ordinarily be inspected at the earliest possible date, but in case of works of a minor character, the Commissioner of Railway Safety will exercise his discretion as to the necessity of carrying out a subsequent inspection

(5) When the use of temporary diversion is likely to be extended to more than 3 days, the Commissioner will, if he considers it necessary, take the earliest possible opportunity of inspecting it.

[No. 70/WDO/ORI/RO/1]

I. I. M. S. RANA, Member Engineering,
and Ex.-Officio Secy.

Note :- The principal rules were published vide Notification No.G.S.R. 625(E) dated 21st July,2000.